<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 105 / 22 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2022 / 372

1. श्री रतनलाल पिता मोती डांगी निवासी गायत्रीनगर मावली तहसील मावली।

................प्रार्थी

बनाम

1. श्री हरकलाल पिता भोलीराम दुग्गड महाजन निवासी पलानाकलां तहसील मावली।
2. श्रीमती गोपीबाई पत्नी मांगीलाल कलाल निवासी मावली तहसील मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीदार मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
4. पटवारी पटवार हल्का मावली तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)

...............विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री ललित कुमार वसीटा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक : 20.01.2025</u>

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की आराजी नम्बर 5074 / 1805 रकबा 0.0162 हेक्टेयर उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थी के नाम स्वतन्त्र खातेदारी हक से अंकित हैं।
2. यह कि मुझ प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात के उत्तरी पडौस में विपक्षी संख्या 1 की आराजी नम्बर 1806 रकबा 0.4290 हेक्टेयर एवं दक्षिणी पडौस में विपक्षी संख्या 2 की आराजी नम्बर 1805 रकबाा 0.0647 हेक्टेयर कृषि भूमियां स्थित हैं अर्थात् विपक्षी संख्या 1, 2 मुझ प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि के पडौसी हैं।
3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मुझ प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि के विपक्षी संख्या 1, 2 पडौसी है जिस वजह से विपक्षी संख्या 1, 2 हर साल वर्षा के समय अपने परिजनों के साथ मिलकर मेरी जमीन की सीमाओ को लेकर मुझ प्रार्थी एवं मेरे परिजनों से लडाई झगडा करते है और मु[illegible] मेरे परिवार को हमारी खातेदारी की कृषि भूमि के उपयोग उ[illegible] दखलन्दा[illegible]दा करते है तथा प्रतिवर्ष बाड की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:41:39 IST
Reason: SelfAttested

मरम्मत करने के बहाने धीरे–धीरे मेरी जमीन की तरफ बढ जाते है तथा सीमा के स्थाई निशान नहीं होने से सीमा बाबत् विवाद करते है और मुझ प्रार्थी एवं मेरे परिवारजन को मेरी उक्त वर्णित कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने देते है और हमारे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा करते है तथा हमारी बाड व बाडे में खडे वृक्षों को भी नुकसान पहूंचाते है और विपक्षी संख्या 1, 2 अब धीरे–धीरे मेरी जमीन की ओर बढते हुए मेरी जमीन पर अवैद्य तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहे है जबकि विपक्षी संख्या 1, 2 को ऐसा करने का कोई वैद्यानिक अधिकार नहीं हैं।

4. यह कि मै प्रार्थी अपनी खातेदारी की उक्त जमीन पर काबिज हूं और अपने परिवारजन सहित शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा हूं लेकिन विपक्षी संख्या 1, 2 जो मेरी जमीन के पडौसी है जो हर समय सीमा को लेकर विवाद करते है एवं लडाई झगडा कर मेरी कृषि भूमि पर कब्जा करने को आमादा रहते है एवं विपक्षी संख्या 1, 2 मुझ प्रार्थी एवं मेरे परिवारजन को डरा धमका कर मेरी जमीन को नाजायज तरीके से हडपने पर आमादा हो रहे है तथा मेरी बाड एवं बाड में खडे वृक्षों को भी नाजायज तरीके से काटने पर उतारू है जबकि विपक्षी संख्या 1, 2 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मुझ प्रार्थी को मेरी उक्त कृषि भूमि की प्रार्थना पत्र अनुसार उत्तरी एवं दक्षिणी दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कराना जरूरी हो गया हैं। इसलिए मुझ प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं।
5. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण 15.07.2022 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1, 2 ने उनकी आराजीयात के सटमा स्थित मेरी कृषि भूमि की सीमाओ को लेकर विवाद किया, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
6. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 1, 2 के विरूद्व निम्न आशयक का आदेश फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कराई जाकर स्थाई रूप से सीमांकन कराया जावे तथा विपक्षी संख्या 1, 2 को पाबंद किया जावे कि वो मेरी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, नुकसान नहीं पहूंचावे, वृक्ष नहीं काटे और मेरी जमीन का मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट से ही करावे। साथ ही मेरी खातेदारी की भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के कब्जे में पायी जावे तो उसका कब्जा भी मुझ प्रार्थी को विपक्षी संख्या 1, 2 से सुपुर्द कराया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:41:39 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी परिवार सहित अपनी खातेदारी भूमि में ही निवास करता है और विपक्षीया वृद्ध महिला होकर किसी भी रूप में प्रार्थी का सामना करने में सक्षम नहीं है जिससे प्रार्थी आये दिन विपक्षीया को हैरान व परेशान करता रहता है तथा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी करने का प्रयास करता है। प्रार्थी व उसके परिवार वाले बल पूर्वक विपक्षीया को बाड करने से रोकते है एवं सदैव विपक्षीया की भूमि पर अतिचार करने का प्रयास करते हैं। विपक्षीया उम्रदराज वृद्ध महिला होकर शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रही है। विपक्षीया ने कभी भी प्रार्थी से कोई लडाई झगडा नहीं किया है ना ही कोई सीमा विवाद ही किया है जबकि विपक्षीया की खातेदारी कृषि भूमि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आराजी संख्या 1803, 1804, 1805 के उत्तर पूर्व व उत्तर दिशा में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 5074/1805, 1802, 5072/1803, 5073/1804, 5074/1805 स्थित है उक्त भूमियों की बाड करने के बहाने प्रार्थी स्वयं विपक्षीया से आये दिन लडाई झगडा करने को उतारू रहता हैं इसलिए विपक्षीया की खातेदारी आराजी संख्या 1803, 1804, 1805 की उत्तर व पूर्व दिशा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की सीमाओ की पत्थरगढी कराया जाना नितान्त आवश्यक हो गया हैं। विपक्षीया ने आज दिन तक कोई लडाई झगडा नहीं किया जिससे कोई प्रार्थना पत्र का कारण उत्पन्न नहीं हुआ।

8. काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विपक्षीया की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम मावली पटवार हल्का मावली की आराजी संख्या 1803, 1804, 1805 के उत्तर पूर्व व उत्तर दिशा में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 5074/1805, 1802, 5072/1803, 5073/1804, 5074/1805 स्थित है उक्त भूमियों की बाड करने के बहाने प्रार्थी विपक्षीया से आये दिन लडाई झगडा करने को उतारू रहता है। इसलिए विपक्षीया की खातेदारी आराजी संख्या 1803, 1804, 1805 की उत्तर व पूर्व दिशा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की सीमाओ की पत्थरगढी की जावें।

9. अन्त में निवेदन किया कि विपक्षीया की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम मावली पटवार हल्का मावली की आराजी संख्या 1803, 1804, 1805 के उत्तर पूर्व व उत्तर दिशा में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 5074/1805, 1802, 5072/1803, 5073/1804, 5074/1805 स्थित है विपक्षीया की खातेदारी आराजी संख्या 1803, 1804, 1805 की उत्तर व पूर्व दिशा में स्थित प्रार्थी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि की सीमाओ की पत्थरगढी की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:41:39 IST
Reason: SelfAttested

10. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है अतः विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे। साथ ही निवेदन किया कि प्रकरण में वर्णित भूमि प्रार्थी की तन्हा खातेदारी की भूमि है प्रार्थी की भूमि की पत्थरगड़ी करने का आदेश प्रदान करने का श्रम करावें। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा निवेदन किया कि काउण्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि विपक्षी संख्या 2 की तन्हा खातेदारी की भूमि है। अतः विपक्षी की तन्हा खातेदारी की भूमि की पत्थरगड़ी करने का आदेश प्रदान करने का श्रम करावें।

11. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि अधिवक्ता प्रार्थी स्वयं ही विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है। अतः विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाती है। मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 701 पर दर्ज आराजी नम्बर 1802, 5072/1803, 5073/1804, 5074/1805 किता 4 रकबा 0.4614 हेक्टेयर भूमि का प्रार्थी तन्हा खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगड़ी करवाना चाहता है। चुंकि प्रार्थी उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, ऐसे में अपनी खातेदारी की भूमि का पत्थरगड़ी करवाने का प्रार्थी को पूर्ण अधिकार है। इसी प्रकार मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 195 पर दर्ज आराजी नम्बर 1803, 1804, 1805 किता 3 कुल रकबा 0.4532 हेक्टेयर भूमि का विपक्षी संख्या 2 तन्हा खातेदार काश्तकार होकर विपक्षी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त आराजीयात में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा निहित नही है। विपक्षी संख्या 2 अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगड़ी करवाना चाहती है। चुंकि विपक्षी संख्या 2 उक्त भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, ऐसे में अपनी खातेदारी की भूमि का पत्थरगड़ी करवाने का विपक्षी संख्या 2 को पूर्ण अधिकार है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी संख्या 2 का काउण्टर प्रार्थना स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

12. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/- रूपये शुल्क पर तहसीलदार घासा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2025.03.07 14:41:39 IST
Reason: SelfAttested

मावली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 701 पर दर्ज आराजी नम्बर 1802, 5072/1803, 5073/1804, 5074/1805 किता 4 रकबा 0.4614 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 195 पर दर्ज आराजी नम्बर 1803, 1804, 1805 किता 3 कुल रकबा 0.4532 हेक्टेयर भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 बराबर बराबर मौके पर अदा करें।

13. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
14. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:41:39 IST
Reason: SelfAttested